



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 13.09.2022

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 256/22 धारा 323/354/376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट एवं मु0अ0सं0 259/22 धारा 223/224 भादवि में पुलिस अभिरक्षा से फरार/वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 256/22 धारा 323/354/376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट एवं मु0अ0सं0 259/22 धारा 223/224 भादवि में पुलिस अभिरक्षा से फरार/वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- सन्दीप पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम बुढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 256/22 धारा 323/506/354/ 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

2- मु0अ0सं0 259/22 धारा 223/224 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0- श्री सत्येन्द्र सिंह सिद्धू

2-उ0नि0 – श्री धीरज सिंह

3- का0 610 गौरव कुमार

4- का0 525 महेश कुमार



**प्रेस नोट**

**थाना बिनौली**

**दिनांक 13.09.2022**

**हत्या करने वाले आरोपी सौराज सिंह को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।**

### **कार्यवाही –**

अवगत कराना है कि अभियुक्त सौराज सिंह पुत्र अटल सिंह निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2018 में हत्या की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0- 273/2018 धारा 302 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 13.09.2022 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बागपत द्वारा अभियुक्त सौराज सिंह को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

### **दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-**

1- सौराज सिंह पुत्र अटल सिंह निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.09.2022

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 849/2022 धारा 363 भादवि में गुमशुदा लडके को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 849/2022 धारा 363 भादवि में गुमशुदा लडके को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा थाना कोतवाली बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।



### बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री दीपक कुमार ।
- 2- का० 1130 सोनू तेवतिया



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.09.22

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-विकास पुत्र राजेन्द्र निवासी वार्ड नं0-5 नई बस्ती मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

2-सन्दीप पुत्र भोपत निवासी मौ0 कुम्हारान पुराना कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार को0बागपत ।

2-का0 831 आलोक कुमार को0बागपत ।

3-का0 158 मन्जीत सिंह को0बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 13.09.2022

**थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 822/22 धारा 323,307,504,506,427 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.09.2022 को थाना कोतवाली बडौत पर वादी श्री काला पुत्र बरसाती निवासी ग्राम पट्टी खोब्बा ग्राम बावली थाना बडौत ने लिखित सूचना दी कि अभियुक्त 1- अजयपाल पुत्र रणवीर 2- अंकुर 3- आकाश 4- अनुज पुत्रगण अजयपाल निवासी ग्राम पट्टी खोब्बा ग्राम बावली थाना बडौत द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करते हुये मारपीट करना तथा जान से मारने की नियत से लाठी-डंडो आदि से हमला कर दुकान में रखे कांटा(तराजू) को तोड देना तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0सं0 822/22 धारा 323, 307, 504, 506, 427 भादवि पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 822/22 धारा 323, 307, 504, 506, 427 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-अंकुर पुत्र अजयपाल निवासी पट्टी खोब्बा ग्राम बावली थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह

2-है0का0 422 राजन सिंह



प्रेस नोट  
थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 13.09.2022

**थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

1- नौशाद पुत्र यासीन निवासी ग्राम महेशपुर चौपडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1- उ0नि0 श्री कपिल कुमार
- 2- का0 932 रविन्द्र कुमार
- 3- का0 949 विकास तालान
- 4- का0 826 ईश्वरचन्द